सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. वैभव (VAIBHAV) अध्येतावृत्ति क्या है?

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) अध्येतावृत्ति भारतीय STEMM प्रवासियों तथा भारतीय शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के मध्य सहयोगशील अनुसंधान कार्य की परिकल्पना करती है। अध्येतावृत्ति प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय संस्थान को चिह्नित करेंगे तथा अभ्यागत सहायक संकाय सदस्य के रूप में वर्ष में एक से तीन माह तक व्यतीत कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 75 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, प्रति माह 5,000 अमेरिकी डॉलर की दर से अध्येतावृत्ति अनुदान, निवास स्थान तथा आकस्मिक व्यय शामिल होंगे।

2. इस अध्येतावृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं?

- यह अध्येतावृत्ति नियमित आधार पर विदेशों में कार्यरत स्टेम के प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों हेतु है।
- आवेदकों के पास भारतीय राष्ट्रीयता तथा विदेश का वीजा/कार्य परमिट होना चाहिए।
- यह अध्येतावृत्ति निम्नलिखित के लिए नहीं हैः-
    - वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में पीएचडी/विदेश में पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री उत्तीर्ण की है तथा भारतीय संस्थानों में स्थानन खोज रहे हैं।
    - भारत में फिलहाल कार्यरत भारतीय शोधार्थी।

3. किन अनुसंधान क्षेत्रों में भारतीय प्रवासी अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं?

प्रस्ताव वैभव के प्रवर चिह्नित उद्भाग में प्रार्थित है:-

1) क्वांटम प्रौद्योगिकियां
2) कृत्रिम सूचनाप्रदता एवं मशीन अधिगम
3) अभिकलन विज्ञान
4) आंकड़ा विज्ञान
5) फोटोनिक्स
6) ऊर्जा
7) इलेक्ट्रानिकी एवं सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी
8) संचार प्रौद्योगिकी
9) वायु आकाश प्रौद्योगिकी
10) सामग्री एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
11) पृथ्वी विज्ञान
12) पर्यावरण विज्ञान
13) उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी
14) स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान एवं बायोमेडिकल डिवाइसेस
15) औषध विज्ञान एवं जैव-प्रौद्योगिकी
16) कृषि अर्थव्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा

4. आवेदन के लिए पात्रता मापदण्ड क्या हैं?

पात्रता: (भारतीय मूल के वैज्ञानिकों हेतु)

1. आवेदक को अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) तथा भारत का विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई.) होना चाहिए, जो कि शीर्ष-500 क्यू.एस. रैंक की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में फिलहाल कार्यरत हों।
2. आवेदक को मान्य विश्वविद्यालय से पीएच.डी./एम.डी./एम.एस. उपाधि-प्राप्त होना चाहिए।
3.भारत स्थित अनुसंधान संस्थान/अकादमिक संस्थान में 3 वर्ष तक व्याप्त अवधि के दौरान न्यूनतम 1 माह से अधिकतम 2 माह तक अनुसंधान कार्य करने की योजना होनी चाहिए।
4.आवेदक कैलेण्डर वर्ष में अपने प्रस्ताव को एक ही बार प्रस्तुत कर सकते हैं।

पात्रता: (भारतीय संस्थानों के लिए)

1.एन.आई.आर.एफ. समग्र रैंकिग में शीर्ष 200 में स्थानप्राप्त और NAAC 'A' ग्रेड (3.0 एवं उच्च) धारक तथा उच्च शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय तथा लोक निधीयित वैज्ञानिक संस्थान/राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं।

5. इस अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?

इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य है कि आवेदक विदेश में नियमित नियोजन में हो तथा उनके/उनकी सेवानिवृत्ति में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों।

6. मेरा संस्थान क्यू.एस. 500 रैंकिंग पर खरा नहीं उतरता है। क्या मैं पात्र हूं?

नहीं।

7. मैं अपने निवासीय देश में फेडरल सरकार के लिए कार्य करता हूं। क्या मैं व्यक्तिगत/निजी क्षमता में आवेदन कर सकता हूं। क्या मैं पात्र हूं?

यदि आपका संस्थान सहमति पत्र/एन.ओ.सी. प्रस्तुत करता है, तब आप इस अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

8. अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए क्या क्रियाविधि है?

वैभव अध्येतावृत्ति के लिए आवेदनों का आमंत्रण डी.एस.टी. वेबसाईट www.dst.gov.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

9. आह्वान कब सुलभ होगा?

आवेदन वर्ष में दो बार आमंत्रित किए जाएंगे, जिनकी समाप्ति 31 जुलाई व 31 जनवरी को होगी।

10. सामान्यतः कितने समय के लिए आवेदन प्रक्रिया खुली रहेगी?

आवेदन प्रक्रिया 45 दिवसों तक कार्यशील रहेगी।

11. मैं कैसे आवेदन करूं? ऑनलाइन या ऑफलाइन?

केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

12. आवेदन के लिए पोर्टल का यू.आर.एल. क्या है?

आह्वान सुलभ होते ही इसे डी.एस.टी. की वेबसाईट पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

13. परिणाम प्राप्त करने के लिए कितना समय सामान्यतः लगता है?

इसमें लगभग 6 माह लगता है।

14. क्या मुझे कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?
हां।

15. क्या अध्येतावृत्ति के संबंध में कोई विस्तृत दिशानिर्देश हैं? इसके साथ-साथ कैसे आवेदन करें?
आह्वान सुलभ होते ही दिशानिर्देश साझा किए जाएंगे।

16. क्या कोई डाक सूची है, जिससे मुझे आवेदन करने की संभावना के संबंध में सूचना प्राप्त हो सके?
नहीं।

17. आवेदन के साथ क्या-क्या अभिलेख आवश्यक हैं?

- आवेदक का जीवनवृत्त
- जन्मतिथि के साथ वैध पासपोर्ट की प्रति
- योग्यता प्रमाणपत्र
- आवेदक द्वारा वचनबंध प्रमाणपत्र तथा उनके मूल संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र
- भारत में मेजबान संस्थान से पृष्ठांकन प्रमाणपत्र
- साहित्यिकचौर्य निषेध वचनबंध

18. क्या मेजबान तथा होम संस्थान पत्रों के लिए कोई प्रोफार्मा है?
हां, यह प्रस्ताव आह्वान का भाग होगा।

19. अध्येतावृत्ति के लिए चयनित होने पर अध्येताओं को क्या प्राप्त होगा?
अधोवर्णित के अनुसार अध्येता अनुदान प्राप्ति के हकदार होंगें:

- अमेरिकी डॉलर 5000 (भारतीय मुद्रा के समतुल्य) की दर से अध्येतावृत्ति
- मूल संस्थान से कार्यस्थल तक भारत में बिजनेस श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय यात्रा
- 3 या 4-स्टार होटल में आवास
- रु. 1,00,000 प्रति वर्ष की दर से आकस्मिक व्यय
- वर्ष में दो भारतीय स्टेशनों तक अकादमिक प्रयोजन से घरेलू यात्रा

20. इस अध्येतावृत्ति के अंतर्गत भारतीय प्रवासी की मेजबानी करने पर मेजबान संस्थान को डीएसटी से क्या प्राप्त होगा?
मेजबान संस्थान को वैज्ञानिक की मेजबानी, कार्यालय/प्रयोगशाला स्थान, उपभोज्य-वस्तु, प्रयोगशाला उपकरण प्राप्ति और विभिन्न आधारभूत सहायता की सुविधा के लिए रु. 10 लाख प्रति वर्ष प्राप्त होंगे।

21. चयन मापदण्ड एवं आवेदन की रीति क्या है?
चयन विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर होगा, जिसका गठन डी.एस.टी. द्वारा किया जाएगा। समिति अनुसंधान की नूतनता, अनुसंधान की प्रकृति (मूलभूत/अनुप्रयुक्त/अंतरणीय), संभावित परिणाम, मेजबान भारतीय संस्थानों की सहमति का मूल्यांकन करेगी।

22. यह अध्येतावृत्ति कैसे समाप्त होगी?

- यदि कोई अध्येता अध्येतावृत्ति समाप्त करना चाहता है, तो वह डी.एस.टी. को सूचित करेगा। कार्यान्वयन संस्थान को परियोजना समाप्ति की तिथि या प्रधान अन्वेषक के

त्यागपत्र की तिथि से कोई भी व्यय नहीं करना चाहिए। संस्थान उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी करेगा ।

- यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आश्वस्त हो जाता है कि उचित प्रगति नहीं हो रही है या अनुदान का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा हो, तो वह किसी भी चरण पर अध्येतावृत्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. मैं वर्तमान में जे-1 वीजा पर हूं। क्या भविष्य में मेरे वीजा नवीनीकरण या अन्य प्रकार की वीजा श्रेणियों यथा एच1-बी व ओ.1 के आवेदन में कोई प्रतिबंध होगा?

आवेदक को नियमित नियोजन में होना चाहिए तथा विदेशी देश में कार्यरत होने पर वर्क को वीजा धारक होना चाहिए। छात्र वीजा वाले आवेदक इस अध्येतावृत्ति के पात्र नहीं हैं।